उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-125 /2019/4384 /30-3-19-06बी/2014
लखनऊ, दिनॉक 15 नवम्बर, 2019

संशोधन/शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-08-2019 के अनुमोदन के क्रम में सड़क सुरक्षा के कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-119/2019/4037/30-3-19-06बी/2014, दिनांक 14-10-2019 निर्गत किया गया है, जिसके प्रस्तर-1 में कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-08-2019 द्वारा सड़क सुरक्षा के कार्यों हेतु शासनादेश संख्या-33/2019/1289/30-3-19-06बी/2014, दिनांक 03-06-2019 द्वारा निर्गत कुल धनराशि रू0 1069.20 लाख में से निरस्त किये गये रू0 202.00 लाख की धनराशि का उल्लेख त्रुटिवश अंकित नहीं हो पाया है।

अत: शाासनादेश दिनांक 14-10-2019 के प्रस्तर-1 को निम्नवत पढ़ा जाय :-

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1377स0सु0/2019-84स0सु0/2004, दिनॉक 18-09-2019 एवं पत्र संख्या-1479स0सु0/2019-84स0सु0/2004, दिनॉक 01-10-2019 द्वारा किये गये अनुरोध तथा कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 14-08-2019 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेश संख्या-33/2019/1289/30-3-19-06बी/2014, दिनांक 03-06-2019 द्वारा पूर्व में निर्गत कुल धनराशि रू0 1069.20 लाख में से रू0 202.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति को निरस्त करते हुए सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1509.59 लाख में से कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-08-2019 द्वारा अनुमोदित धनराशि रू० 371.22.00 लाख (रू० तीन करोड़ इकहत्तर लाख बाईस हजार मात्र) को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य हेतु उनके सम्मुख विवरण एवं धनराशि के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- उक्त शासनादेश दिनांक 14-10-2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय,

ह0/-

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-125/2019/4384(1)/30-3-2019, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in